न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2017/00168

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

अनोपकंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी 14 पीबी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री दिलीपसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– 24.01.2023**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी के नाम चक 14 पीबी ए के मु0नं0 68/40 में किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 68/39 में किला नं0 5,6,15,16, 21 ता 25 इसप्रकार कुल 13.06 बीघा भूमि है तथा चक 14 पीबी ए मु0नं0 68/40 के किला नं0 21 ता 24 में 03.10 बीघा रकबा भूमि प्रतिवादी अनोपकंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी 14 पीबी तहसील खाजूवाला द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया, इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तो को भंग किया गया है। अतः खातेदार की कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है आवंटी को आवंटन कृषि कार्य हेतु किया गया था जिप्सम खनन के लिए नहीं किया गया था। प्रार्थनापत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को नोटिस जारी होने पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह उपस्थित आये। प्रतिवादी को जवाब हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/त.खा./रीडर/22/89 दिनांक 12.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 14 पीबी ए के मु0नं0 68/40 के किला नं0 21 ता 25 कुल 1.1127 है0 का रकबा अनोपकंवर पत्नी हनुमानसिंह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में अनोपकंवर का ही कब्जा काश्त है व मौके पर रबी की फसल बोई हुई है। बहस सुनी गई।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने प्रकरण में राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। राज्य पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद विचारण अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं प्रतिवादी से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई मशीनरी ट्रैक्टर, जेसीबी इत्यादि कभी कोई जब्त हुई अथवा नहीं। कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करें कि वादगत भूमि से प्रतिवादी ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 12.01.2023 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों के पक्ष में मजबूत साक्ष्य/सबूत, स्वतंत्र गवाह वगैरह पेश नहीं किये गए है और नाही वादपत्र को साबित करने के पक्ष में ऐसा तथ्य/दस्तावेज पेश किया जिससे वादपत्र साबित होता हो। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि उक्त भूमि का कृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है व कब्जा काश्त है तथा भूमि के स्वरूप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया गया है एवं इस बात की तस्दीक तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट दिनांक 12.01.2023 से भी हो रही है। वादी वादपत्र को साबित करने में असफल रहने व वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)